यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- भिकियासैण, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- भिकियासैण, अल्मोड़ा के माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री एस. के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 14.01.2019 से 24.01.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गौरव पंत, व. लेखापरीक्षक एवं श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2018 से 02.02.2018 तक श्री ए. सी. कटियार, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2016 से 12/2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः विभाग का सृजन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के नाम से सन 1972 में हुआ। उत्तर प्रदेश से विभाजित उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण कार्य का दायित्व विभाग को सौपा गया है। विभागीय पुनर्गठन के पश्चात ग्रामीण निर्माण विभाग के नाम से विभाग वर्तमान में विभिन्न विभागों के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण, नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण, पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुन:निर्माण एवं विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण आदि कार्य जो सुदूर आँचलों में स्थित है, का निष्पादन करवाया जाता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	**स्थापना**			**गैर- स्थापना**				
	आवंटन धनराशि	**व्यय धनराशि**	**बचत**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्ति**	**कुल प्राप्ति**	**व्यय**	**अवशेष**
2015-16	151.73	149.68	2.05	700.62	1146.72	1847.34	648.89	1198.45
2016-17	175.16	174.27	0.89	1198.45	469.66	1668.11	785.22	882.89
2017-18	202.56	202.49	0.07	882.89	467.32	1350.21	676.62	673.59
2018-19 (till 12.2018)	203.80	168.48	35.32	673.59	371.97	1045.56	466.43	579.13

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष							
प्रारम्भिक अवशेष		---शून्य----					
वर्ष के दौरान	---						

प्राप्तियाँ	---	
कुल प्राप्तियाँ		
वर्ष के दौरान कुल व्यय		
अंतिम अवशेष		

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

<u>तकनीकी संवर्ग 1).</u> मुख्य अभियंता (स्तर – 1), 2).मुख्य अभियंता (स्तर- 2), 3). अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार), 4). अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार), 5). सहायक अभियन्ता, 6).कनिष्ठ अभियन्ता, 7).मानचित्रकार

<u>गैर-तकनीकी संवर्ग:</u> 1). वित्त नियंत्रक, 2). खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी, 3). प्रशासनिक अधिकारी, 4). वैयक्तिक सहायक, 5). प्रधान सहायक, 6). वरिष्ठ सहायक, 7). कनिष्ठ सहायक, 8). अनुसेवक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 01/2018 से 12/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- भिकियासैण, अल्मोड़ा के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- भिकियासैण, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

vi). खण्ड के भण्डार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ..... स्टॉक शून्य है ..... तथा 01/2019तक की गई।

vii). फार्म 51: माह 12/2018 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:- (धनराशि रु में)

भाग प्रथम रु (-) 1,66,750/-

भाग द्वीतीय रु (+) 51,25,133/-

viii). खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष माह 12/2018 के अन्त में (धनराशि रु में)

क). प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम रु 73,600/-

ख). सामग्री क्रय रु. --- शून्य

ग). नकद परिशोधन रु. --- शून्य

घ). निक्षेप रु 5,96,12,162/-

ड़). भण्डार रु. --- शून्य

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>-1:- रु 14.88 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 6 के नियम- 622 के अनुसार तीन वर्षों तक रोकी गई धनराशि का दावा न किये जाने पर अदावाकृत धनराशि को व्यपगत धनराशि के रूप में राजस्व खाते जमा कर दिया जाना चाहिए। (In the accounts for the march each year, the balances unclaimed for more than three complete account year, in the public works deposits account should carried out to the revenues of the State or the Central Government as lapsed deposits).

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- भिकियासैण, अल्मोड़ा की निक्षेप पंजिका भाग- द्वीतीय एवं चतुर्थ के नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा **संलग्नक ('अ' एवं 'ब')** के अनुसार, माह 01/2005 से माह 03/2014 तक की धनराशि रु 5,72,068 + 9,16,166 = रु 14,88,234/- संबंधितों द्वारा तीन वर्षो से अधिक समय से दावा न किए जाने के कारण राजस्व खाते में जमा किए जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इकाई द्वारा कुल अदावाकृत धनराशि रु 14,88,234/- लेखापरीक्षा के माह 12/2018 तक राजस्व में जमा न कराई गई थी। इस प्रकार इकाई में धनराशि रु **14,88,234/-** लगभग 05 वर्ष से 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा के माह 12/2018 तक अवरुद्ध रखी हुई पायी गई।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि " *प्रखण्ड की स्थापना 12/2010 में हुई है, इससे पूर्व के प्रकरण प्रखण्ड अल्मोड़ा से संबन्धित होने के कारण संबन्धित ठेकेदारों से पत्र व्यवहार नहीं किया गया और ना ही इससे पूर्व किसी उच्च अधिकारी द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त की गई। आपके आपत्ति उपरान्त लंबित धनराशि राजस्व खाते में जमा करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।*" उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि 05 से 14 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशि रु **14,88,234/-** अदावाकृत अवस्था में आपके प्रखण्ड में माह 12/2018 तक अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 14.88 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-'अ'

अदावाकृत धनराशि का विवरण:-

क्र. सं.	डिपोजिट पंजिका	धनराशि के संव्यवहार (Transaction) का माह	ठेकेदार/ संबन्धित का नाम (मै./ श्री / श्रीमती)	अवशिष्ठ धनराशि(रु) (as on 31.12.2018)	मद सं. (Item No.)
1	**भाग ii**	07/2005	Soban Singh Bora	10200	1
2	---तदैव---	05/2007	Raghubar Dutt Joshi	22674	2
3	---तदैव---	11/2007	Kailash Chandra Upreti	4000	3
4	---तदैव---	10/2008	Kamal Singh	4600	4
5	---तदैव---	01/2009	Dinesh Chandra Bhatt	35600	5
6	---तदैव---	01/2009	Dinesh Chandra Bhatt	45100	6
7	---तदैव---	05/2009	Mehta Construction	11600	7
8	---तदैव---	09/2009	Kailash Chandra Singh	100	8
9	---तदैव---	11/2009	Sahni Sons	5000	9
10	---तदैव---	11/2009	Sahni Sons	5000	10
11	---तदैव---	06/2010	Govind Singh Brothers	7200	11
12	---तदैव---	12/2011	Nainwal Construction	6200	12
13	---तदैव---	06/2012	Harish Singh	5000	13
14	---तदैव---	10/2012	Mohan Singh Rautela	38000	14
15	---तदैव---	03/2013	Jagat Singh Rawat	4000	17
16	---तदैव---	03/2013	Man Singh	16000	18
17	---तदैव---	03/2013	Oli Enterprises	3700	19
18	---तदैव---	03/2013	Heera Singh	14600	20
19	---तदैव---	03/2013	Pramod Joshi	5000	22
20	---तदैव---	03/2013	Heera Singh	5000	23
21	---तदैव---	05/2013	Mahesh Lal Verma	3988	24
22	---तदैव---	06/2013	Ramesh Chandra Pant	2500	25
23	---तदैव---	09/2013	Hirdesh Mehra	856	27
24	---तदैव---	09/2013	Laxman Singh	16000	28
25	---तदैव---	10/2013	Dhan Singh	7900	29
26	---तदैव---	02/2014	Nand Kishor Dhyani	38000	31
27	---तदैव---	03/2014	Virendra Singh Rawat	10000	32
28	---तदैव---	03/2014	Heera Singh	15000	33
29	---तदैव---	03/2014	Hemraj Negi	11000	34
30	---तदैव---	03/2014	Prem Singh Kuwarbi	218250	35
			Total =	**5,72,068/-**	

संलग्नक-'ब'

अदावाकृत धनराशि का विवरण:-

क्र. सं.	डिपोजिट पंजिका	धनराशि के संव्यवहार (Transaction) का माह	ठेकेदार/ संबन्धित का नाम (मै./ श्री / श्रीमती)	अवशिष्ठ धनराशि(रु) (as on 30.11.2018)	मद सं. (Item No.)
1	**भाग iv**	01/2005	Pan Singh Mauri	5000	3
2	---तदैव---	03/2005	Jagdish Chandra Joshi	10000	4
3	---तदैव---	07/2005	Trilok Singh	37926	5
4	---तदैव---	08/2005	Trilok Singh	5000	6
5	---तदैव---	10/2005	Madan Electricals	5000	7
6	---तदैव---	03/2006	Raghubar Dutt Joshi	5000	8
7	---तदैव---	08/2006	Trilok Singh	10000	9
8	---तदैव---	05/2007	Raghubar Dutt Joshi	5000	10
9	---तदैव---	06/2007	Trilok Singh	5000	11
10	---तदैव---	01/2007	Kailash Chandra Kandpal	5000	12
11	---तदैव---	02/2007	Trilok Singh	5000	13
12	---तदैव---	07/2007	Harish Chandra Tiwari	25000	14
13	---तदैव---	08/2007	Kailash Chandra Upreti	2000	15
14	---तदैव---	01/2008	Pushkar Durgapal	5000	16
15	---तदैव---	03/2008	Hradyesh Mehra	15000	17
16	---तदैव---	03/2008	Lal Singh	5000	18
17	---तदैव---	05/2008	Raghubar Dutt Joshi	10000	19
18	---तदैव---	01/2009	Kailash Chandra Kandpal	5000	20
19	---तदैव---	01/2009	Kailash Chandra Upreti	15000	21
20	---तदैव---	03/2009	Sai Electricals	5000	22
21	---तदैव---	07/2009	Mahipal Singh	5000	23
22	---तदैव---	11/2009	Lal Singh	5000	24
23	---तदैव---	01/2010	Mahipal Singh	5000	25
24	---तदैव---	02/2010	Govind Singh	2000	26
25	---तदैव---	02/2010	Mahipal Singh	5000	27
26	---तदैव---	03/2010	Sahni Sons	3000	28
27	---तदैव---	03/2010	Ranjeet Singh Bisht	15000	29
28	---तदैव---	03/2010	Ramesh Chnadra Pant	15000	30
29	---तदैव---	5/2010	Mohan Singh	5000	31
30	---तदैव---	07/2010	Jeevan Singh Rawat	20000	32
31	---तदैव---	07/2010	Vishwa Vijay Singh Mehra	5000	33
32	---तदैव---	07/2010	Nainwal Construction	25000	34
33	---तदैव---	08/2010	Mahipal Singh	20000	35
34	---तदैव---	11/2010	Mohan Singh	5000	36

35	---तदैव---	11/2010	Harish Chandra Tiwari	30000	37
36	---तदैव---	09/2010	Lal Singh	15000	38
37	---तदैव---	02/2011	Shivashish Engineer	5000	39
38	---तदैव---	02/2011	Mahesh Lal Verma	5000	40
39	---तदैव---	07/2011	Bhagwat Singh	2000	41
40	---तदैव---	07/2011	Hradyesh Mehra	10000	42
41	---तदैव---	07/2011	Mahesh Lal Verma	2000	43
42	---तदैव---	07/2011	Rajendra Singh Rautela	2000	44
43	---तदैव---	07/2011	Nainwal Construction	25000	45
44	---तदैव---	07/2011	Jagat Singh	20000	46
45	---तदैव---	07/2011	Mahesh Lal Verma	3000	47
46	---तदैव---	07/2011	Sah Construction	25000	48
47	---तदैव---	07/2011	Mahesh Lal Verma	10000	49
48	---तदैव---	07/2011	Man Singh	3000	50
49	---तदैव---	07/2011	Ramesh Chandra	3500	51
50	---तदैव---	08/2011	Rajendra Singh Rautela	5000	52
51	---तदैव---	08/2011	Mohan Singh	5000	53
52	---तदैव---	09/2011	Oli Enterprises	200	55
53	---तदैव---	10/2011	Sah Construction	30000	56
54	---तदैव---	10/2011	Kailash Singh	10000	57
55	---तदैव---	11/2011	C.S. Construction	50000	58
56	---तदैव---	12/2011	K.S. Mehta	1000	59
57	---तदैव---	02/2012	Mohan Lal Verma	5000	60
58	---तदैव---	02/2012	Harish Chandra Singh	10000	61
59	---तदैव---	03/2012	Lalit Singh Bora	3530	62
60	---तदैव---	03/2012	Kailash Chandra Upreti	1000	63
61	---तदैव---	03/2012	Mohan Singh	5000	64
62	---तदैव---	03/2012	Gopal Singh	24000	65
63	---तदैव---	05/2012	Narendra Singh Negi	5000	66
64	---तदैव---	05/2012	Lal Singh	2000	67
65	---तदैव---	05/2012	Kailash Chandra Upreti	5000	68
66	---तदैव---	05/2012	Mahipal Singh	5000	69
67	---तदैव---	06/2012	Jeewan Singh Rawat	5000	70
68	---तदैव---	06/2012	Dinesh Singh	2000	71
69	---तदैव---	07/2012	Virendra Singh Rawat	5000	73
70	---तदैव---	07/2012	Virendra Singh Rawat	5000	74
71	---तदैव---	07/2012	Lalit Singh Bora	7000	75
72	---तदैव---	09/2012	Narendra Singh	2000	76
73	---तदैव---	09/2012	Bhaskaranand	5000	77
74	---तदैव---	10/2012	Praveen Singh	5000	78

75	---तदैव---	10/2012	Indra Singh	10000	79
76	---तदैव---	11/2012	Virendra Singh Rawat	5010	80
77	---तदैव---	11/2012	Ghananand Bhandri	20000	81
78	---तदैव---	01/2013	Bhim Singh	2000	82
79	---तदैव---	01/2013	Mohan Singh	5000	83
80	---तदैव---	02/2013	Virendra Singh Rawat	5000	84
81	---तदैव---	02/2013	Kailash Singh Rawat	16000	86
82	---तदैव---	03/2013	Virendra Singh	2000	87
83	---तदैव---	03/2013	Kailash Chandra Upreti	10000	88
84	---तदैव---	03/2013	Himmat Singh	5000	89
85	---तदैव---	03/2013	Soban Singh Bora	5000	90
86	---तदैव---	03/2013	Madan Electricals	4000	91
87	---तदैव---	03/2013	Surendra Singh	4000	92
88	---तदैव---	07/2013	Lalit Singh Bora	5000	93
89	---तदैव---	09/2013	Laxman Singh Negi	5000	95
90	---तदैव---	10/2013	Bhaskaranand	10000	96
91	---तदैव---	11/2013	Bhim Singh	25000	98
92	---तदैव---	11/2013	Man Singh	5000	99
93	---तदैव---	12/2013	Man Singh	5000	100
94	---तदैव---	12/2013	Man Singh	5000	101
95	---तदैव---	01/2014	Pramod Joshi	5000	102
96	---तदैव---	01/2014	Hradyesh Mehra	10000	103
97	---तदैव---	01/2014	Man Singh	5000	104
98	---तदैव---	02/2014	Gopal Singh	10000	105
99	---तदैव---	03/2014	Bhagwat Singh	5000	106
100	---तदैव---	03/2014	Man Singh	5000	107
101	---तदैव---	03/2014	Virendra Singh Rawat	10000	108
102	---तदैव---	03/2014	Man Singh	10000	110
103	---तदैव---	03/2014	Man Singh	5000	111
104	---तदैव---	03/2014	Heera Singh	5000	112
105	---तदैव---	03/2014	Man Singh	10000	116
			Total =	**9,16,166/-**	

भाग- 2ब

प्रस्तर-2: "Delegation of Financial Power" द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (₹40.00 लाख) का उल्लंघन कर दो अलग-अलग फ़र्मों को(रु.65.58लाख एवं ₹ 41.09 लाख) =₹ 106.67 लाख के कार्य आवंटित कर अदेय लाभ पहुँचाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 मे वर्णित प्रस्तर 370 (I) के अनुसार -

No authority may enter into a contract/agreement into which he is not empowered to enter under paragraph 368 or which infringes the rule in paragraph 369 of the FHB (Vol-6).

The Rule-369 provides that 'No individual contractor may receive second contract in connection with the same work or estimate while the first is still in force, if the total sum of his contracts exceeds the powers of acceptance of the authority concerned'.

(i) लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत सल्ट मे ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत जंतरा बैंड – व्याखुली पड़ाव से सोली इंटर कॉलेज तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। उक्त कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2014-15 मे रु. 215.08 लाख की प्रदान की गयी थी जिसमे से प्रथम चरण के कार्यों हेतु रु 128.33 लाख की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग नैनीताल द्वारा प्रदान की गयी थी । Delegation of Power द्वारा निर्धारित सीमा (रु40.00 लाख) और FHB Vol- VI के प्रस्तर-369 के प्रावधानों के विरूद्ध इकाई द्वारा एक ही फर्म/ठेकेदार मैसर्स रावत एसोंसिएटस के साथ अधिशासी अभियंता स्तर पर एक ही कार्य के 02 पृथक-पृथक अनुबंध (कुल धनराशि रु65.58 लाख) गठित किये गये। खण्ड द्वारा स्टेज-I के कार्य हेतु गठित दोनों अनुबन्धों के कार्यएक ही ठेकेदार को आवंटित कर उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया जिसका विवरण निम्नवत है:-

तालिका-1

Name ofFirm/Contractor	***Agreements No.***	***Cost of Agreement (Amount in Rs.)***
मेसर्स रावत एसोसिएट्स	103/EE/2015-16	38,54,838/-
	132/EE/2015-16	27,02,977/-
TOTAL		**65,57,815/-**

FHB(Vol-6) के प्रस्तर-368 & 369 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के कार्य हेतु केवल राज्य सरकार अनुमति दे सकती है परंतु इकाई द्वारा इस प्रकार की कोई अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त नहीं की गयी थी ।

(ii) इसी प्रकार कालीगाँव से आयुर्वेदिक चिकित्सालय होते हुए आमधार तक मार्ग का निर्माण किया जाना था । इस कार्यहेतु रु.215.00लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्टेज 1 के कार्यहेतु रु. 81.53 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि Delegation of Power द्वारा निर्धारित सीमा (रु40.00 लाख) और FHB Vol- VI के प्रस्तर-369 के प्रावधानों के विरूद्ध इकाई द्वारा एक ही ठेकेदार सोबन सिंह बोरा के साथ अधिशासी अभियंता स्तर पर एक ही कार्यके 03 पृथक-पृथक अनुबंध (कुल धनराशि रु67.99लाख) गठित किये गये। खण्ड द्वारा स्टेज-I के कार्य हेतु गठित तीनों अनुबन्धों के कार्यएक ही ठेकेदार को आवंटित कर उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया जिसका विवरण निम्नवत है:-

Name ofFirm/Contractor	***Agreements No.***	***Cost of Agreement (Amount in Rs.)***
Soban singh Bora	106/EE/2015-16	24,59,443.00
	137/EE/2015-16	16,50,000.00
TOTAL		**41,09,443/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि मुख्य अभियंता द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुपालन मे कार्यको तीन job मे बांटकर निविदा आमंत्रित कि गयी थी ,उक्त ठेकेदार की दरें तीनों निविदाओं मे न्यूनतम रहने के कारण इसी ठेकेदार से अनुबंध गठन की कार्यवाही की गयी । अनुबंध अधिशासी अभियंता की सीमा के भीतर हैं अतः राज्य सरकार से कोई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। भविष्य मे लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी का संज्ञान लिया जाएगा । इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि job मे कार्यबांटे जाने की स्थिति मे कार्यको अलग –अलग चैनएज मे बांटा जाता है एवं प्रत्येक चैनएज मे एक ही प्रकार की कार्य मदों को चैनएज की आवश्यकता अनुसार किया जाता है जबकि उपरोक्त कार्यों मे एक ही कार्यके अंतर्गत की जाने वाली कार्य मदों को बांटा गया है जो अलग-अलग job की श्रेणी मे नहीं आता । इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उसको उपरोक्त नियम की जानकारी नहीं थी भविष्य मे इसका अनुपालन किया जाएगा । अतः "Delegation of Financial Power" द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (₹40.00 लाख) का उल्लंघन कर एक ही फर्म को क्रमशः रु.65.58लाख एवं रु.67.99 लाख(कुल ₹ 133.57लाख) के कार्यआवंटित कर अदेय लाभ पहुँचाये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 03- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु.15.41 लाख की वसूली नहीं किया जाना ।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग ,भिकियासैण के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि निर्माण कार्यों के अंतर्गत अनुबंध किए गए थे । अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 के क्लॉज़ संख्या 07 के अनुसार विशेष परिस्थितियों मे ठेकेदार समय वृद्धि की मांग कर सकता है परंतु इसके लिए उसे कार्यकारी अभियंता के पास 30 दिन पूर्व कारणो सहित आवेदन करना होगा। उपरोक्त आवेदन अनुबंध करने वाले अधिकारी से उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं इस अधिकारी द्वारा भी कार्य के लिए प्रदत्त कुल अवधि के 50% से अधिक की अवधि का कार्य विस्तार नहीं किया जा सकेगा। यदि 50% समय से अधिक की समय वृद्धि दी जानी आवश्यक हो तो प्रकरण को अनुबन्ध स्वीकारने वाले अधिकारी से वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी अर्थात मुख्य अभियंता के पास प्रकरण ले जाना पड़ेगा एवं उसी के द्वारा यह समय वृद्धि प्रदान की जाएगी।अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 मे समाहित शर्तों के अनुसार शिडयूल A मे दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्य सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति मे बिलंब से कार्य किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी ,जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि,द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 3.5% राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 4.0% राशि ठेकेदार के बिलो से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्य चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि मे पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि का 10%) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति मे ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी । लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि-

(1) शासनादेश संख्याः 146(1)/XII-2/2015/83(04)/2014 दिनाँक 16 दिसम्बर 2015 द्वारा कालीगाँव से आयुर्वेदिक चिकित्सालय होते हुए आमधार तक मार्ग का निर्माण (ल.-1.80 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत ₹215.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य को दो स्टेज में पूर्ण किया जाना था।स्टेज-1 के कार्य हेतु दिनाँक-22-01-2016 को ₹81.53 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 3 अनुबंधों का गठन किया गया था । **संलग्नक-1** के अनुसार अनुबन्ध संख्याः 10/ई.ई./2016-17 के अंतर्गत कार्य माह 10/2016 को पूर्ण किए जाना था। परंतु उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 26 माह अधिक की अवधि व्ययतीत हो जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया था । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 2.69 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी । परंतु इकाई द्वारा उक्त कार्यवाही किए बिना ठेकेदार को अंतिम भुगतान कर दिया गया था ।

(2) जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत सल्ट मे ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत जंतरा बैंड –व्याखुली पड़ाव से सोली इंटर कॉलेज तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । मार्ग की लंबाई 2.850 किमी॰थी तथा उक्त कार्यदो चरणों मे किया जाना था जिसके प्रथम चरण मे मार्ग कटान ,प्रतिधारक दीवारों का निर्माण ,स्कपर एवं क्रॉस ड्रैनेज का कार्यकिया जाना था । उक्त कार्यकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2014-15 मे रु. 215.08 लाख की प्रदान की गयी थी जिसमे से प्रथम चरण के कार्यों हेतु रु 128.33 लाख की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग नैनीताल द्वारा प्रदान की गयी थी। **संलग्नक -2** के अनुसार जबकि द्वितीय चरण के कार्यों हेतु रु.86.75 लाख की तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग भिकियासैण द्वारा प्रदान की गयी थी। प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के दो

अनुबंधों का गठन किया गया था तथा कार्यालयी अभिलेखों के अनुसार कार्यपूर्ण किया जा चुका था । जबकि द्वितीय चरण के कार्यहेतु एक अनुबंध किया गया था जिसका कार्य अनुबंधित अवधि के बाद भी अपूर्ण था । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 12.72लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी ।परंतु इकाई द्वारा उक्त कार्यवाही किए बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि हेतु आवेदन किया गया है । सक्षम अधिकारी द्वारा जो अर्थदण्ड लगाया जाएगा उसकी वसूली ठेकेदार की विभाग मे जमा जमानती धनराशि से कर ली जाएगी । इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है तथा धनराशि को वसूल करने का आश्वासन दिया गया है अतः कुल रु **15.4 लाख**(2.68 लाख +12.72लाख) की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक -1

फर्म/ठेकेदार का नाम	**अनुबन्ध संख्या**	**अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि**	**कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब (12/2018)**	**अनुबंध की धनराशि (₹ में)**	**अद्यतन भुगतान की राशि (₹ में)**
Sh. Soban Singh Bora	10/EE/2016-17, Dt.15-06-2016	14-10-2016	अपूर्ण / 26 माह	2689638.00	1852398.00
योग				**2689638.00**	**1852398.00**

संलग्नक -2

फर्म/ठेकेदार का नाम	**अनुबन्ध संख्या**	**अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि**	**कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब (12/2018)**	**अनुबंध की धनराशि (₹ में)**	**अद्यतन भुगतान की राशि (₹ में)**
M/S Rawat Associates	103/EE/2015-16	26.04.16	20.8.16/04माह	3854838	3801779
M/S Rawat Associates	132/EE/2015-16	15.06.16	10.09.16/03माह	2702977	2530685
Sh. Mahipal Singh Bisht	17/SE/2017-18	18.06.18	अपूर्ण07/ माह	6161064	4830562
योग				**12718879**	**11163026**

STAN

प्रस्तर-01- निर्माण कार्यों का 1 वर्ष से 07 वर्ष तक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, भिकियासैंण की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि विभिन्न ग्राहक विभागो द्वारा निक्षेप कार्य के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदाई संस्था के रूप मे विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागों द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 20 माह से लेकर 91 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों को इतनी अवधि मे भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य मे न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । इन निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 14विभागो के 58 निर्माणकार्यों **(संलग्नक -1)** की रु.136.65 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्यों मे बिलंब होना स्वाभाविक है, साथ ही कुछ ग्राहक विभागों द्वारा भी निर्माण स्थल समय से उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण भी निर्माण कार्यसमय से पूरे नहीं किए जा सके । धनराशि उपभोग हेतु निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास विभाग द्वारा किए जा रहे हैं । इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए तथ्यों को संज्ञान मे लिया गया परंतु इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा वर्तमान मे निक्षेप पंजिका मे दर्ज आंकड़ो को आधार मानकर स्थिति का आंकलन किया गया है एवं उन्हीं कार्यों पर आपत्ति की गयी है जिसमे ग्राहक विभागों द्वारा कम से कम 1.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक की अवधि पूर्व ही धनराशि एवं जमीन उपलब्ध करा दी थी जो कि निर्माण कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय से भी अधिक था एवं यदि कुछ कार्यों को किया जाना संभव नहीं था तो उसकी अवशेष धनराशि ततसमय ही ग्राहक विभाग को वापस कर दी जानी चाहिए थी धनराशि को इतने लंबे समय तक अवरुद्ध रखे जाने का कोई औचित्य नहीं था । इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 136.65 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक-1

विभाग का नाम	कार्य का नाम	धनराशि प्राप्ति का माह	12/2018 को अवशेष धनराशि
स्वास्थ्य	परिवार कल्याण उपकेन्द्र मसमोली का निर्माण	07/2011	144774
	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र सौणमानुर का निर्माण	07/2011	115525
	रा०हो०चिकि० मठखानी के अवा०/अना० भवन का निर्माण	12/2011	1087901
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालनू का निर्माण	04/2013	348269
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकीयसैण हेतु पहुँच मार्ग	07/2015	73241
	नागरिकचिकित्सालय रानीखेत में एन०बी०एस०यू० का निर्माण	05/2017	88138
पशुपालन	पशु चिकित्सालय मौनखाल का निर्माण	08/2011	170272
	अटल आदर्श पशु सेवा केन्द्र पैढानी का निर्माण	06/2011	153960
	रा० पशु चिकित्सालय रानीखेत में चारा बैंक भवन निर्माण	03/2016	118895
शिक्षा	रा०इ०का० रानीखेत में कक्षाकक्ष का जीर्णोद्धार/भवन निर्माण	06/2011	407486
	खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन द्वाराहाट का निर्माण	08/2013	233085
	खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन स्याल्डे का निर्माण	03/2014	465905
	रा०इ०का० लोधियाखान में चहरदीवारी निर्माण	03/2014	505101
	रा०इ०का० मनिला में कक्षा कक्ष का निर्माण	11/2014	160923
	रा०इ०का० बग्वालीपोखर में कक्षा कक्ष का निर्माण	03/2015	418643
	रा०इ०का० बटुलिया में कक्षा कक्ष का निर्माण	03/2015	118418
	रा०इ०का० बागोड़ा में कक्षा कक्ष का निर्माण	03/2014	423606
पर्यटन	शतुरगाँव के काली मंदिर का सौंदर्यकरण	07/2013	100000
	भतरौजखान में रानेखेत मार्ग पर सुलभ शौचालय का निर्माण	09/2015	127446
	द्वारहाट में सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण	07/2016	64127
	रानीखेत में 3 व्यू पॉइंट	10/2016	320568
	जिला योजना के अंतर्गत ताड़ीखेत में सूचना पट का निर्माण	03/2017	300000
ग्राम्य विकास	वि०ख० कार्यालय भवन चौखुटिया का निर्माण	07/2015	440914
सांस्कृतिक	ग्राम डभरा में शहीद स्मारक का निर्माण	06/2011	242856
	मल्ली महरोली में बृहद स्मारक स्तम्भ का निर्माण	06/2011	473281
	शहीद स्मारक देघाट का निर्माण	08/2011	418145
	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्मारक सुरईखेत का निर्माण	01/2014	204194
	स्वतन्त्रतासंग्राम सेनानी भोलादत्त स्मारक बबाड़ी किचार	02/2015	272205
	शिवमंदिर काकड़ीघाट में स्वामी विवेकानन्द जी की मूर्ति स्थापना,ध्यान केन्द्र इत्यादि	05/2015	380270
	ताड़ीखेत स्थित गांधीकुटीर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण कार्य	01/2016	122020
	स्वतन्त्रतासंग्राम सेनानी हरकराम जी का स्मारक विरलगाँव	02/2017	73242
दैवीय आपदा	रा०प्रा०वि० खुजरानी का पुनर्निर्माण	10/2011	174847

	रा०प्रा०वि० सीलोरमहादेव का पुनर्निर्माण	10/2011	139458
	रा०प्रा०वि० डुंगरा का पुनर्निर्माण	04/2012	433410
	रा०प्रा०वि० मंगड़ोली का पुनर्निर्माण	04/2012	199413
	रा०प्रा०वि० पोखरी में क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण	04/2014	67000
	रा०उ०मा०वि० मुनडा जसपुर में क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण	04/2014	85000
	प्रा०वि०मछाड़ में क्षतिग्रस्त कक्ष का निर्माण	03/2015	77200
समाज कल्याण	ग्राम भड़गाँव में अनु०जा० में पाइप लाइन/टैंक निर्माण	01/2016	188295
	ग्राम भड़गाँव में मुख्यमोटरमार्ग से अ०जा०ब० तक सीसीमार्ग	01/2016	123509
	ग्राम सिलगी के अ०जा०ब० में आंतरिक सीसी मार्ग	01/2016	608000
	उपराडी से सिलगी तक मोटर मार्ग	01/2016	583000
	वि०ख० स्याल्दे ग्राम तोलबुधानी में खेल मैदान	10/2014	100000
	वि०ख० स्याल्दे ग्राम तामादौन में खेल मैदान	10/2014	100000
	वि०ख० स्याल्दे ग्राम बसई में खेल मैदान	10/2014	69809
	वि०ख० ताड़ीखेत के अंतर्गत ग्राम पाली नंदली में खेल मैदान	10/2014	100000
	वि०ख० ताड़ीखेत के अंतर्गत ग्राम दुगोड़ा में खेल मैदान	10/2014	100000
	वि०ख०ताड़ीखेत के अंतर्गत ग्राममलौना नंदली में खेल मैदान	10/2014	100000
	वि०ख० ताड़ीखेत के अंतर्गत ग्राम गुमटामें खेल मैदान	10/2014	100000
उद्यान विभाग	द्वाराहाट कुकछीनामार्ग के16km से रा०उ०दूनागिरी तक मार्ग	06/2011	165751
	रा०उ० चौबुटिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक इत्यादि	02/2013	252914
कृषि	कृषि बीज भण्डार सराइखेत के भवन का मरम्मत कार्य	06/2014	257089
सहकारिता	साधन सहकारिता समिति गोदाम चिलियानौला का निर्माण	03/2015	60938
	साधन सहकारिता समिति गोदाम सिनौड़ा का निर्माण	11/2015	144300
गैरसैण विकास परिषद	चौखुटिया में टेक्सी स्टैण्ड का निर्माण	08/2015	422153
	चौखुटिया में अगनेरीमंदिर के पास सार्वजनिक भवन सभागार	09/2015	214496
पंचायती राज	देघाट में टेक्सी स्टैण्ड का निर्माण	06/2016	105754
धर्मस्व	बूढ़ाकेदार बाबा मन्दिर का सौंदर्यकरण	11/2016	119571
योग			**136,65,317**

STAN

प्रस्तर –02 बिना किसी स्वीकृति के रु. 8.00 लाख का व्यायाधिक्य ।

According to FHB Vol-6 Rule 381 "**No material alteration in sanctioned (still less in standard) designs may be made by a divisional officer in carrying out any work, without the approval of the superintending engineer. Should any alteration of importance, involving additional expense, be considered necessary, a revised or supplementary estimate should be submitted for sanction. In urgent cases, where the delay thus caused would be inconvenient, an immediate report of the circumstances must be made to the superior authority and deal with as the case may require. In the case of material modifications of or deviations from a sanctioned estimate it is the duty of the executive officers to see that sanction of the competent authority is obtained**"

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, भिकियासैंण के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि-

(1) शासनादेश संख्या :146(1)/XII-2/2015/83(04)/2014 दिनाँक 16 दिसम्बर द्वारा 2015 कालीगाँव से आयुर्वेदिक चिकित्सालय होते हुए आमधार तक मार्ग का निर्माण (लं- 1.80किमी) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत ₹215.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य को दो स्टेज में पूर्ण किया जाना था।स्टेज 1-के कार्य हेतु दिनाँक 2016-01-22-को लाख की तकनीकी स्वीकृति 81.53₹ प्रदान की गई थी।प्रगति रिपोर्ट माह दिसम्बर 2018 के अनुसारइस कार्यालय को कुल **65.00**₹ लाख अवमुक्त किए जा चुके हैं। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर रु **67.99** लाख के 3 अनुबंधों का गठन किया गया था । लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत निम्नवत कार्य अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा(851% अधिक) में किए गए। जिसका विवरण निम्नवत है-

Agreement No.	Item of work	Bond Qty.	Executed Qty.	Excess Qty.	Rate	Amount (₹)
10/EE/2016-17	Random rubble masonary laid Dry in breast/retaining wall	52.23	496.83	444.60 (**851%**)	1821.80	809972
Total(Contract is at below 1.2%)						**800252**

इस प्रकार अधिक मात्रा मे किए गए कार्यों को कराये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी ।परंतु इस प्रकरण मे इकाई द्वारा सक्षम अधिकारी को सूचित नहीं किया गया तथा कोई अनुमति भी प्राप्त नहीं की गयी थी । इस प्रकार इस अधिक मात्रा हेतु रु. 800252/- का अधिक व्यय किया गया था जो किसी भी स्वीकृति के अभाव मे पूर्णतः अनुचित था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि अंतिम बिल भुगतान के समय विचलन प्रपत्र तैयार कर विचलन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी । इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः उच्चाधिकारिओं की बिना किसी पूर्व स्वीकृति के **रु. 08.00 लाख** का व्यायाधिक्य किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की कुल संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
ss/ AIR- 117/ 2014-15	6	---	1,2	1,2,3,4
ss/ AIR- 103/ 2016-17	5	---	1,2,3,4,5	---
ss/ AIR- 181/ 2017-18	1	---	1	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
ss/ AIR- 117/ 2014-15	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2 STAN- 1,2,3,4	लंबित ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों के अनुमोदन पश्चात लेखापरीक्षा को प्रेषित की जायेगी।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
ss/ AIR- 103/ 2016-17	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3,4	तदैव	तदैव	--
ss/ AIR- 181/ 2017-18	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1	तदैव	तदैव	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- भिकियासैण, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री संजय शर्मा	अधिशासी अभियंता (प्रभारी)	विगत लेखापरीक्षा से दिनांक 01.08.2018 तक
श्री पी. सी. जोशी	अधिशासी अभियंता	दिनांक 02.08.2018 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- भिकियासैण, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.